

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2244

दिनांक 11/10/2022

### प्रार्थीगण :-

1.दमाराम 2.बाबूराम पि. दीपाराम  
जाति जाट,  
निवासी अली की बस्ती  
(बूठ राठौड़ान), तहसील चौहटन।

### विप्रार्थीगण:-

1. हरजीराम 2.तिलोकाराम 3.गुमाना पि.पूजा 4. पपूराम 5.रामाराम  
6.वीराराम पि.मूला 7.हरिया पत्नि मूला, जातियान भील 8.सफी खां  
9.माला 10.भूरा पि.सुमार खां 11.हासम 12.पनू पि.दीना  
जातियान तेली, निवासी अली की बस्ती  
13.सुफा पुत्र दीना, जाति तेली, निवासी नेतराड़, 14.खतीजा पत्नि  
जुसब खां, जाति तेली 15.खुमाराम 16.दूदाराम पि.खरथाराम  
जाति जाट, निवासी अली की बस्ती (बूठ राठौड़ान),तहसील चौहटन।  
17.तहसीलदार चौहटन

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

### वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 68/2022

दिनांक : 11.10.2022

### आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान के मौजा अली की बस्ती के खेत खसरा सं. 648/160 रकबा 05.8760 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2245 to 2248

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण दमाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण हरजीराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 11/10/2022



(भाभीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन